दिनांक 27 मार्च, 2020 कार्यालय ज्ञापन– कोविड-19 के मद्देनजर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सीजीएचएस–ओपीडी दवाओं की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष स्वीकृति

जेड15025/12/2020 / डीआईआर/सीजीएचएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सीजीएचएस महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 27 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञापन

उप: ओपीडी दवाओं की प्रतिपूर्ति: कोविड-19 के मद्देनजर विशेष स्वीकृति

कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समुदाय के साथ–साथ व्यक्तिगत स्तर पर अपनाए जाने वाले उपायों को लागू करके इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गये हैं।

2. सरकार द्वारा व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिग) बनाए रखने के लिए दिशा–निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उपरोक्त दिशानिर्देशों के विस्तार में अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश दिया जाता है कि क्रोनिक रोगों के लिए दवाइयां प्राप्त करने वाले सीजीएचएस लाभार्थी दिनांक 30 अप्रैल 2020 तक सीजीएचएस से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के बावजूद या अन्यथा के कारण प्रस्तावित पर्चे के आधार पर दवाएं खरीद सकते हैं। इस उपायों के पीछे विचार यह है कि सीजीएचएस लाभार्थियों को दिनांक 30 अप्रैल तक दवाएं एकत्र करने के लिए सीजीएचएस आरोग्यता केंद्र का दौरा न करना पड़ें।

2. सीजीएचएस आरोग्यता केंद्र के माध्यम से पेंशनभोगियो, पूर्व सांसदो आदि द्वारा सीजीएचएस में चिकित्सा दावा (मेडिकल क्लेम) प्रस्तुत किया जाएगा।, राज्यसभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियो के मामले में संबंधित मंत्रालय/विभाग, माननीय सांसदो और स्वायत्त निकायों के लाभार्थियों के मामले में संबंधित स्वायत्त निकाय, जहां कार्ड पंजीकृत है, वहां चिकित्सा दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

3. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. संजय जैन)

निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

प्रतिलिपि:

1 सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार

2 निदेशक, सीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली

3 सीजीएचएस डेस्क–I / डेस्क–II /सीजीएचएस-I /सीजीएचएस -II, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

4 Estt.I/ Estt.IU Estt.III/ Estt.IV अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

4 Estt.I/ Estt.II/ Estt.III/ Estt.IV अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

5 प्रशासन–I / प्रशासन.II स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अनुभाग, अपर निदेशक, सीजीएचएस (मुख्यालय) /सीजीएचएस शहरों के निदेशक अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक राज्यसभा/लोकसभा सचिवालय

8 कुलसचिव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय/पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़

9 अवर सचिव, यू.पी.एस.सी.

10 अवर सचिव, वित्त विभाग

11 उप सचिव (सिविल सेवा समाचार), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, तल मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

12 व्यक्तिगत निजी सचिव/पीपीएस से सचिव (राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) /सचिव (आयुष) /सचिव (एचआर) /सचिव (एड्स नियंत्रण), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

13 व्यक्तिगत निजी सचिव के रूप में एएस और एमडी, एनआरएचएम/एएस (एच) /स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

14 सचिव, स्टाफ साइड, 13–सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली

15 राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्य (जेसीएम) (संलग्न सूची के अनुसार)

16 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

17 मंत्रालय के सभी कार्यालय/अनुभाग/डेस्क

18 यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, यूटीआई–आईटीएसएल टॉवर, प्लॉट नंबर 3 सेक्टर – 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई –400614

19 सीजीएचएस वेब–साइट पर ओएम की प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ नोडल अधिकारी, एमसीटीसी, सीजीएचएस

20 अपर निदेशक, संबंधित शहर के निदेशक, सीजीएचएस के माध्यम से सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध समस्त अस्पताल।

21 कार्यालय आदेश फ़ोल्डर